




16



जुलियुस उराव  
 भारतीय प्रजासत्ताक 1968 की धारा  
 10(1) के अन्तर्गत  
 राज्य: भारतीय प्रजासत्ताक  
 (यूडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची  
 भा. 1 के अन्तर्गत  
 अधिकार प्राप्त है।  
 (यदि प्रमाणित नहीं है कि यह  
 प्रमाणित नहीं है।)

25/2/17

IA with the  
 permission by L.R.D.C.  
 Simdega vide  
 case no-291/12-13  
 order dt-  
 18.2.13

१।१ लेख्यकारी:- श्री जुलियुस उराव पिता स्व० जोहन उराव,  
 जाति- उराव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- खिजरी सामटोली,  
 थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।


समथ-पत्र संख्या:-

134 / 2013

बिफ्रेता ।

जुलियुस उराव  
 पिता - स्व० खिजरी खोज  
 ग्राम - पुराना सामटोली (खिजरी)  
 थाना - सिमडेगा 28/2/12  
 जिला - सिमडेगा





--2--

{2} लेख्यधारिणी:- सुश्री मंजुला मिंज पिता श्री जेम्स मिंज,  
जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- छिजरी  
सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शमथ-पत्र संख्या:-

135 / 2013

{3} लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक  
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

{4} मूल्य:- मोबलिंग एक लाख अस्सी हजार रुपये अर्के 1,80,000/-  
रुपये होता है ।

{5} सम्मति:- एराजियात अन्दर मौजा- छिजरी सामटोली महतोली  
थाना- सिमडेगा, थाना नं० 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला-  
सिमडेगा के खाता नं० 168 {एक सौ अरसठ} प्लॉट नं० 2707 {सताईस  
सौ सात} रकबा 0.02 एकड़ {दो डिसमिल} वो प्लॉट नं० 2706  
{सताईस सौ छः} रकबा 0.10 एकड़ {दस डिसमिल}, कुल एक खाता  
के दो प्लॉट का जुमला रकबा 0.12 एकड़ {बारह डिसमिल} शहरो  
क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता  
है, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

प्लॉट नं० 2707 का चौहद्दी:-

उत्तर:- नाला प्लॉट नं० 2709,

दक्षिण:- प्लॉट नं० 2708 टांड,


पूरव :- परती नाला प्लॉट नं० 2709,

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश ।

प्लॉट नं० 2706 का चौहद्दी:-

उत्तर:- परती नाली प्लॉट नं० 2709,

Handwritten signatures and dates on the right side of the page. The date 28/2/13 is written multiple times. There are also some illegible signatures and a circular stamp.



--3--

दक्षिण:- प्लॉट नं० 2710 टांड,  
 पूरब :- इसी प्लॉट का अंग,  
 पश्चिम:- परती नाला प्लॉट नं० 2709,  
 मालगुजारी 5 पैसा {पाँच पैसा} अलावे सेस सलाना ।

॥1॥ चूँकि मुझ लेख्यकारी को बीमारी का इलाज कराने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसको व्यवस्था जमीन बेचे वगैरे सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने को प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

॥2॥ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर, वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

॥3॥ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे पिता जोहन उरॉव के नाम से नाप दर्ज है । उक्त जमीन का मेरे नाम से उत्तराधिकारो दाखिल खारिज हो चुका है । जिसका वाद संख्या 119/2004-05 है । मालगुजारी रसीद मेरे नाम से कटता है । उक्त जमीन पर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

Handwritten signature and date: 28/2/13



--4--

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 291/2012-13 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 18.02.2013 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 192§.ii§ दिनांक 18.02.2013 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलदार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरुआ के तहत नहीं है ।

सत्यमेव जयते  
सिद्धि  
श. क. जमिनी सुधार  
28/2/13





--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।



सजय कुमार महता  
अधिकृत  
28/2/13

सजय कुमार महता  
अधिकृत  
28/2/13

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बायें हाथ का पांचा अंगुलिया का दाप मेरे समक लिखा गया ।

सजय कुमार महता  
अधिकृत

28.02.2013

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।



Maryula Mary  
28/2/2013

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बायें हाथ का पांचा अंगुलिया का दाप मेरे समक लिखा गया ।

सजय कुमार महता  
अधिकृत

28.02.2013



उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार मल्लो  
अधिवक्ता  
प्रारूपकर्ता  
तारीख:- 28.02.2013

सही/-  
अधिवक्ता  
प्रारूपकर्ता  
28/2/13

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 638 शब्द टंकित हैं जो छपडन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक  
मो० मकसुद  
28.2.13

मो० मकसुद  
कचहरी परिसर,  
सिमडेगा ।